10 जनवरी, 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते पर दस्तखत हुए थे। 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति के लिए एक संधि की जरूरत महसूस की जा रही थी। बाद में सोवियत संघ यानी रूस की पहल पर दोनों देशों के बीच यह करार हुआ।

ईडी ने कर्ज देने में भ्रष्टाचार का दर्ज किया था केस

प्रथम पृष्ठ से आगे

ईडी ने आइसीआइसीआइ बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज के मामले में भ्रष्टाचार और कथित अनियमितताओं के मामले में वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत, चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि विडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत ने 2010 में 64 करोड़ रुपये न्यूपावर रीन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए थे। इस कंपनी को धूत ने दीपक कोचर और दो अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर खड़ा किया था। आरोप है कि आइसीआइसीआइ बैंक से लोन मिलने के छह महीने बाद धूत ने कंपनी का स्वामित्व दीपक कोचर के एक ट्रस्ट को नौ लाख रुपये में ट्रांसफर कर दिया था।

न्यूज गैलरी

रोहिंग्याओं के खिलाफ अर्जियों की सुनवाई मार्च में होगी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह रोहिंग्या मुस्लिम घुसपैठियों को म्यांमार भेजने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 18 मार्च को सुनवाई करेगा। करीब 40 हजार रोहिंग्या घुसपैठिए जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में रह रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे की पीठ ने कुछ हस्तक्षेप याचिकाओं पर नोटिस जारी किए। इनमें से एक हस्तक्षेप याचिका संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत की ओर से दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि रोहिंग्याओं को एक साथ बड़ी संख्या में भेजने का केंद्र का फैसला अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत अस्वीकार्य है। भारत को सुनिश्चित करना चाहिए कि रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार हो और कानूनी राहत पाने का समान अवसर मिले। दो रोहिंग्या शरणार्थियों की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से जुड़े ज्यादातर विवाद इस मसले से जुड़े हैं। (प्रेट्र)

सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के समूह ने गाया वंदे मातरम

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के एक समूह ने शुक्रवार को राष्ट्रगीत-वंदे मातरम गाया। कोर्ट के लॉन में उन्होंने संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी। इससे कुछ दिन पहले प्रशांत भूषण और कामिनी जायसवाल समेत अन्य वकीलों ने लोगों को संवैधानिक मूल्यों की याद दिलाने के लिए संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया। उल्लेखनीय है कि इस कानून के तहत पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। (एएनआइ)

रेलवे के अफसरों ने काडर विलय के खिलाफ उठाई आवाज

विरोध ▶ रेलमंत्री को सौंपे ज्ञापन, प्रति पीएमओ को भेजी

रेल मंत्रालय ने कहा, किसी के साथ नहीं होगा अन्याय, अफसरों से मांगे सुझाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे की आठ सेवाओं का विलय कर एक इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में तब्दील करने के सरकार के निर्णय का रेलवे के तमाम जोनों और डिविजनों ने मुखर विरोध किया है। तेरह जोनों से संबंधित तकरीबन 60 डिविजनों के सैकड़ों अधिकारियों ने इस संबंध में रेलमंत्री पीयूष गोयल को अपने हस्ताक्षरों वाले ज्ञापन सौंपे हैं। अपने ज्ञापनों में अधिकारियों ने कहा है कि काडर विलय के एकतरफा निर्णय से भविष्य में ट्रेन संचालन की संरक्षा खतरे में पड़ेगी तथा दुर्घटनाएं बढ़ेंगी।

कुल 209 पन्नों के ज्ञापनों की प्रतियां पीएमओ के अलावा कैबिनेट सचिव, कार्मिक सचिव और रेलवे बोर्ड चेयरमैन को भी भेजी गई हैं। ज्ञापनों में 24 दिसंबर 2019 को सरकार की ओर से रेलवे की आठ सेवाओं को भंग कर एक नई आइआरएमएस सेवा बनाने के निर्णय की आलोचना की गई है। इसमें कहा गया है कि यद्यपि वह निर्णय 7 दिसंबर, 2019 को संपन्न हुई दो दिवसीय 'परिवर्तन संगोष्ठी' में बनी सहमति के आधार पर लिया गया है। चूंकि उस संगोष्ठी में सभी विभागों का प्रतिनिधित्व नहीं था और विलय का निर्णय मुख्यतया महाप्रबंधकों की सहमति तथा इंजीनियरिंग सर्विस से जुड़े अधिकारियों के फायदे को ध्यान में रखकर लिया गया। इससे सिविल सर्विस के 2500 अधिकारियों का कैरियर प्रभावित होगा।

उत्तर रेलवे के अंबाला डिविजन की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि रेलवे के लगभग सभी महाप्रबंधक इंजीनियरिंग सर्विस के हैं। संगोष्ठी के लिए गठित सभी 12 समूहों का नेतृत्व महाप्रबंधक कर रहे थे और केवल उन्हें ही बोलने की अनुमति थी। महाप्रबंधकों ने गैर-इंजीनियरिंग सेवाओं से संबंधित किसी अधिकारी को विरोधी विचार रखने का मौका ही नहीं दिया। ऐसे में पूरी परामर्श प्रक्रिया को लोकतांत्रिक कैसे कहा जा सकता है।

लगभग सभी ज्ञापनों में विलय के परिणामस्वरूप रेलवे की संरक्षा (सेफ्टी) को खतरे की बात कही गई है और विशेषज्ञता के अभाव में उपकरणों के विफल होने और दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी का अंदेशा जताया गया है। सूत्रों के अनुसार, ज्ञापन मिलने के बाद रेलमंत्री पीयूष गोयल ने इन अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में उन्होंने ये कहते हुए प्रतिनिधिमंडल की आशंकाओं को खारिज कर दिया वे लोग देशहित के बजाय व्यक्तिगत हितों को तरजीह दे रहे हैं। काडर मर्जर का निर्णय इसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है। रेलवे ऐसे अधिकारियों के बगैर भी चल सकती है।

इस संबंध में पूछे जाने पर रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अब इस तरह के ज्ञापनों से निर्णय बदलने वाला नहीं है। वैसे भी जहां कुछ अधिकारी निर्णय का विरोध कर रहे हैं, वहीं कइयों ने इसका समर्थन भी किया है। इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफीसर्स फेडरेशन ने काडर मर्जर के पक्ष में ज्ञापन दिया है। भारतीय रेल की ग्रुप-ए सेवा के 8400 अधिकारियों में से 3700 अधिकारी इस फेडरेशन के सदस्य हैं। इसके बावजूद मंत्रालय ने विरोधी अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि उनके हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों से ईमेल पर अपने सुझाव भेजने को कहा गया था। अब तक 900 सुझाव प्राप्त भी हो चुके हैं। काडर विलय के तौर तरीके तय करते वक्त इन सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।'

आनंद विहार, बिजवासन स्टेशनों के पुनर्विकास का प्रस्ताव मांगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- स्टेशन की नई इमारत और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का किया जाएगा निर्माण
- मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल तथा रेजीडेंशियल कांप्लेक्स भी बनाए जाएंगे

प्रतीकात्मक फोटो

रेलवे ने दिल्ली के दो स्टेशनों-आनंद विहार और बिजवासन के अलावा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास एवं व्यावसायिक सुविधाओं के विकास के लिए इच्छुक कंपनियों से प्रस्ताव मांगा है। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन (आइआरएसडीसी) लि. की ओर से मांगे गए वित्तीय प्रस्तावों (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल-आरएफपी) के तहत चुनी जाने वाली कंपनियों को इन स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए वहां उपलब्ध जमीन का मिश्रित उपयोग करने का मौका मिलेगा। अर्थात स्टेशन की नई इमारत और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ-साथ उन्हें वहां कमर्शियल स्पेस (मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल तथा रेजीडेंशियल कांप्लेक्स आदि) तैयार करने और उन्हें लीज पर उठाने का मौका भी मिलेगा। कंपनियों को उक्त जमीन 99 वर्ष की लीज पर दी जाएगी।

प्रस्ताव के तहत आनंद विहार स्टेशन पर पुनर्विकास कार्यों के लिए 1.70 लाख वर्ग मीटर, बिजवासन में 4 लाख वर्ग मीटर तथा चंडीगढ़ स्टेशन पर 2.32 लाख वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध होगी। रेलवे का इरादा इन स्टेशनों को पूरी तरह से बदलकर एयरपोर्ट जैसा लुक देने का है।

इससे पहले अभी हाल ही में इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन ने डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (डीबीएफओटी) आधार पर अमृतसर, ग्वालियर, नागपुर और साबरमती स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन-आरएफक्यू) मांगा था। इसमें अमृतसर स्टेशन के विकास पर 375 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है। आरएफक्यू प्रस्तावों के जरिये कंपनियों की तकनीकी पात्रता का आकलन किया जाता है। तकनीकी तौर पर सक्षम कंपनियों से बाद में आरएफपी प्रस्तावों के जरिये वित्तीय बोली लगाने को कहा जाता है। स्टेशनों के पुनर्विकास में रेलवे को सबसे ज्यादा लीज प्रीमियम देने वाली कंपनी का चयन किया जाता है।

स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत अभी तक देश में केवल दो रेलवे स्टेशनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज और गुजरात के गांधीनगर स्टेशन के ही पुनर्विकास का कार्य आगे बढ़ सका है। हबीबगंज के रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य जून, 2020 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। जबकि गांधीनगर का कार्य इस वर्ष के अंत तक संपन्न होने की संभावना है।

भारत की चिंता, सिरदर्द न बन जाए श्रीलंका

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

- सरकार बदलते ही तेजी से बढ़ने लगा चीन का असर
- अगले हफ्ते एक साथ कोलंबो पहुंच रहे हैं रूस व चीन के विदेश मंत्री
- हंबनटोटा पोर्ट के संयुक्त उपयोग की संभावना देख रहे हैं दोनों देश

श्रीलंका में चीन समर्थक गोताबाया राजपक्षे की सरकार बनने के साथ ही भारत को जो आशंका थी वह सही साबित होती दिख रही है। चुनाव जीतने के बाद राजपक्षे ने भले ही भारत की यात्रा की हो और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे नववर्ष पर बात भी की लेकिन ऐसा लगता है कि वहां की नई सरकार चीन के हितों के अनुरूप काम शुरू कर चुकी है। ऐसे में अगले हफ्ते वहां एक साथ चीन व रूस के विदेश मंत्री के पहुंचने पर भारत के भीतर काफी उत्सुकता है। यह पहला मौका होगा जब पड़ोसी देश में दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के विदेश मंत्री एक साथ पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस और चीन वहां हंबनटोटा पोर्ट के संयुक्त इस्तेमाल की संभावना तलाश रहे हैं।

अभी तक जो सूचना आ रही है चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कुछ ही घंटे के लिए कोलंबो में रहेंगे, लेकिन दोनों श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणावर्द्धने से मिलेंगे। कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक, एक साथ होने वाले इस दौरे को फिलहाल ईरान व अमेरिका के बीच चल रहे विवाद के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हालांकि जिस तरह से श्रीलंका के हंबनटोटा पोर्ट के इस्तेमाल को लेकर सूचनाएं आ रही हैं, वे कहीं से भी भारत के लिए सुखद नहीं है। हाल ही में रूस के एक युद्ध पोत ने हंबनटोटा की सुविधाओं का इस्तेमाल किया है और श्रीलंका के कुछ मंत्रियों ने साफ तौर पर कहा है कि वह हंबनटोटा को लेकर चीन को और ज्यादा अधिकार देने के पक्ष में हैं। ऐसे में अगले हफ्ते एक ही दिन श्रीलंका के विदेश मंत्री गुणावर्द्धने के साथ रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की होने वाली मुलाकात के बाद क्या बयान आते हैं, इसको लेकर भारत की दिलचस्पी रहेगी।

यह बताने की जरूरत नहीं कि हंबनटोटा पोर्ट की लीज चीन को मिली हुई है। चीन यहां बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र भी बनाना चाहता है। श्रीलंका की पूर्व सिरीसेना सरकार ने उस पर फैसला टाल दिया था लेकिन नई सरकार उसे मंजूरी दे सकती है। दिसंबर, 2019 में भारत से लौटने के बाद राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे ने कहा था कि हंबनटोटा पोर्ट पर चीन से समझौते की समीक्षा नहीं की जाएगी। मताला एयरपोर्ट के बारे में कहा था कि इसे उनकी सरकार अकेले ही विकसित करेगी। सनद रहे कि सिरीसेना सरकार के कार्यकाल में भारत-श्रीलंका के बीच इस पोर्ट को लेकर बातचीत चल रही थी।

चीन-पाक सैन्य अभ्यास को देख अरब सागर में आइएनएस विक्रमादित्य तैनात

- इस कदम से भारत ने दोनों पड़ोसी देशों के दिए स्पष्ट संकेत

नई दिल्ली, प्रेट्र : चीन और पाकिस्तान के नौ दिनी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के मद्देनजर भारत ने अरब सागर में विमान वाहक पोत आइएनएस विक्रमादित्य को तैनात किया है। भारत के इस कदम का मकसद दोनों पड़ोसी देशों को स्पष्ट संकेत देना है।

सैन्य सूत्रों ने बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत में जब विक्रमादित्य को इस सामरिक मिशन पर तैनात किया गया था तब इस पर नौसेना मुख्यालय के शीर्ष अधिकारी भी सवार थे। चीन-पाक ने सोमवार से ही उत्तरी अरब सागर में 'सी गार्जियन' के नाम से संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। इसमें पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट समेत कई युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि विक्रमादित्य को सामरिक उद्देश्य से अरब सागर में भेजा गया है, लेकिन उन्होंने ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया।

वहीं, नौसेना प्रवक्ता ने बताया कि नौसेना उपाध्यक्ष एमएस पवार ने अरब सागर में आइएनएस विक्रमादित्य के ऑपरेशंस की समीक्षा की है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह युद्धपोत अपने नाम के अनुरूप युद्ध में हमेशा विजेता रहेगा। स्मरण रहे कि सितंबर, 2019 में भारतीय नौसेना ने देश के विशेष आर्थिक जोन से चीनी सेना के एक युद्धपोत को खदेड़ा था और चेतावनी दी थी कि ऐसी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा।

आइएनएस विक्रमादित्य फाइल फोटो

बता दें कि रूस निर्मित आइएनएस विक्रमादित्य को 2013 में नौसेना में शामिल किया गया था। 44,500 टन वजनी यह पोत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विमान वाहक पोतों में शुमार है और इसे तैरता युद्धक्षेत्र भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 284 मीटर और ऊंचाई 60 मीटर है जो किसी 20 मंजिला इमारत के बराबर है। इस पर 30 युद्धक विमान तैनात हो सकते हैं। दरअसल, चीन उत्तरी अरब सागर में लगातार उपस्थिति बढ़ा रहा है और पाक में ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है।

अब कहीं से भी कर सकते हैं साइबर क्राइम की रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- विशेष पोर्टल देश को समर्पित, इस पर दर्ज शिकायतों पर राज्य करेंगे कार्रवाई

अब आप देश में कहीं भी हुए साइबर क्राइम की रिपोर्ट एक पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल पर दर्ज रिपोर्ट के आधार पर संबंधित राज्य की जांच एजेंसी खुद-ब-खुद जांच शुरू कर देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल देश को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने साइबर क्राइम पर प्रभावी तरीके से लगाम लगाने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया।

गृह मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 30 अगस्त, 2019 को शुरू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे देश में लांच कर दिया गया है। एक बार इस पोर्टल पर साइबर अपराध की रिपोर्ट आने के बाद तत्काल संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की संबंधित जांच एजेंसी को इस बारे में अलर्ट कर दिया जाएगा और वह इसकी जांच शुरू कर देगी। देश को यह पोर्टल समर्पित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देशभर के 700 पुलिस जिले और 3,900 से अधिक थाने इस पोर्टल से जोड़े जा चुके हैं। इस पोर्टल से जांच एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल बढ़ेगा जिससे साइबर अपराधों की जांच और अपराधियों को सजा दिलाने में आसानी होगी। इस पोर्टल में आर्थिक अपराधों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर किसी का पीछा करना या परेशान करने जैसे मामलों का विशेष ध्यान रखा गया है। भविष्य में इस पोर्टल पर चैट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम से बचने के लिए ऑनलाइन सलाह ले सकेगा या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई प्रक्रिया की जानकारी ले सकेगा।

वहीं, दिल्ली में बना इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर साइबर अपराधों का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए समेकित रूप से काम करेगा। अभी तक 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां रीजनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर खोलने के लिए सहमति दे चुके हैं।

जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- केंद्र सरकार व विधि आयोग को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार व विधि आयोग को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार को कानून बनाने का आदेश देने की मांग वाली याचिका गत वर्ष तीन सितंबर को खारिज कर दी थी। ध्यान रहे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में जनसंख्या के प्रति सचेत कर चुके हैं।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह नोटिस भाजपा नेता व वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया। उपाध्याय ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। शुक्रवार को अपनी याचिका पर खुद बहस करते हुए उपाध्याय ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट बहुत गंभीर मुद्दा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुरुआत में उनकी याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। अगली सुनवाई पर केंद्र सरकार जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांग रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका ही खारिज कर दी।

उन्होंने कहा कि संविधान समीक्षा आयोग ने वर्ष 2002 में केंद्र सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की सिफारिश की थी। इसके 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं बना। वर्ष 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया। इसे तीन जनवरी 1977 को लागू किया गया। इसके तहत 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को अधिकृत किया गया, लेकिन सरकारों ने आज तक कानून नहीं बनाया।

उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि देश में 125 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है और 20 फीसद लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार नहीं है। यानी 25 करोड़ लोग बिना आधार के हैं। इसके अलावा लोग गैरकानूनी रूप से भी देश में रह रहे हैं। यानी देश की कुल जनसंख्या 125 करोड़ की बजाय 150 करोड़ से ज्यादा है। याचिका में कहा गया है कि हमारे देश में दुनिया की मात्र दो फीसद जमीन है। पीने योग्य पानी मात्र चार फीसद है, जबकि जनसंख्या 20 फीसद है। जल, जंगल व जमीन, रोटी, कपड़ा व मकान, बेरोजगारी, भुखमरी और कुपोषण तथा बढ़ते अपराध जैसी समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की खराब स्थिति का मूल कारण भी जनसंख्या विस्फोट है। याचिका में आग्रह किया गया है कि संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिश के मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने संबंधी सरकार को निर्देश दिया जाए।

मनी लांड्रिंग मामले में फोर्टिस के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ आरोपपत्र

जासं, नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड से जुड़े घोटाले का आरोपपत्र शुक्रवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में दाखिल किया। इसमें फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह के अलावा रेलिगेयर के पूर्व सीएमडी सुनील गोधवानी को भी आरोपित बनाया गया है। तीनों फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। आरएचसी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपित बनाया गया है। अदालत ने आरोपितों के खिलाफ समन जारी कर 20 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है।

शिविंदर व मलविंदर को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पिछले साल गिरफ्तार किया था, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने रेलिगेयर से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में हिरासत में लिया था। शिविंदर सिंह और मलविंदर रेलिगेयर फिनवेस्ट के भी पूर्व प्रमोटर हैं। इन पर अपने पद पर रहते हुए कंपनी में करीब एक हजार करोड़ रुपये के फंड का हेरफेर करने के आरोप हैं।

सीडीएस के नवसृजित सैन्य मामलों के विभाग में होंगे कुल 40 सचिव

02 संयुक्त सचिव कामकाज में करेंगे सीडीएस की मदद

13 उपसचिव और 25 अवर सचिव भी देंगे अपनी सेवाएं

17 एकल सैन्य कमान हैं देश में, अंडमान और निकोबार में ही एक संयुक्त कमांड

बिपिन रावत फाइल फोटो

नई दिल्ली, एजेंसियां : देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (सीडीएस) के रूप में जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति के बाद सरकार ने शुक्रवार को उनके नेतृत्व वाले नवसृजित सैन्य मामलों के विभाग के औपचारिक ढांचे को मंजूरी दे दी। इस विभाग में कुल 40 सचिव होंगे।

सैन्य मामलों के विभाग में दो संयुक्त सचिव, 13 उपसचिव और 25 अवर सचिव होंगे जो सीडीएस को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मदद करेंगे। विभाग में सिविल के साथ-साथ सैन्य अधिकारी भी होंगे। जनरल रावत तीनों सेनाओं को सही मायने में योजना, खरीद, रसद, रणनीति और प्रशिक्षण के मामले में एकीकृत बनाएंगे। वह सरकार के इकलौते सैन्य सलाहकार होंगे, साथ ही साथ वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करेंगे। यद्यपि तीनों सेनाओं के प्रमुखों का अपनी-अपनी सेनाओं पर पूर्ण नियंत्रण होगा, लेकिन पदानुक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (सीडीएस) स्पष्ट रूप से सभी समान अधिकारियों में प्रथम होंगे। देश में इस समय 17 एकल कमांड्स हैं और कोई भी सैन्य बल अपनी कमांड नहीं छोड़ना चाहता। भारत में अभी तक सिर्फ अंडमान और निकोबार में ही एक संयुक्त कमांड है।

सैन्य मामलों का विभाग रक्षा मंत्रालय का पांचवा विभाग होगा। वर्तमान में मंत्रालय में रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग हैं। सैन्य मामलों का विभाग सशस्त्र बलों, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय, टेरीटोरियल आर्मी, सेना के लिए खरीद (पूंजीगत और संयुक्त खरीद को छोड़कर), सेनाओं की संयुक्त योजना और एकीकरण के जरिये उनकी जरूरत के मुताबिक कर्मचारी और प्रशिक्षण प्रदान करने का काम देखेगा। यह विभाग सेनाओं में स्वदेशी उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करेगा क्योंकि वर्तमान में भारतीय सेनाएं काफी हद तक आयातित सैन्य उपकरणों और हथियारों पर निर्भर हैं।

एनसीआरबी के आंकड़े

आधी से ज्यादा पीड़िताओं की उम्र 18-30 साल, 27.8 फीसद की आयु 18 वर्ष से भी कम रही

हर चौथी दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग, 100 में से 94 अपराधी जानकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : वर्ष 2018 में महिलाओं के साथ हुए अपराध के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस वर्ष हर चौथी दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग रही, जबकि आधी से ज्यादा पीड़िताओं की उम्र 18-30 वर्ष के बीच रही। यही नहीं, 94 फीसद मामलों में अपराधी जानकार ही रहा।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में दुष्कर्म के कुल 33,356 मामले दर्ज किए गए, जिनमें पीड़िताओं की संख्या 33,977 रही। इनमें 72.2 फीसद पीड़िताएं 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की थीं, जबकि 27.8 फीसद की उम्र इससे कम रही। 51.9 फीसद दुष्कर्म पीड़िताओं (17,636) की उम्र 18-30 साल रही, जबकि 18 फीसद पीड़िताएं (6,108) 30-45 वर्ष की रहीं। 2.1 फीसद पीड़िताओं (727) की उम्र 45-60 वर्ष के बीच रही, जबकि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की 0.2 फीसद (73) महिलाएं भी दुष्कर्म का शिकार बनीं। इसी प्रकार 14.1 फीसद पीड़िताओं (4,779) की उम्र 16-18, जबकि 10.6 फीसद (3,616) की उम्र 12-16 वर्ष के बीच रही। 6-12 वर्ष की 2.2 फीसद (757) व छह साल से कम उम्र की 0.8 फीसद (281) बालिकाएं भी दुष्कर्म की शिकार हुईं।

मप्र में नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले सबसे ज्यादा, उप्र तीसरे स्थान पर : नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में राजस्थान में नाबालिगों से दुष्कर्म के सबसे ज्यादा (5,433) मामले दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान (4,335) दूसरे व उत्तर प्रदेश (3,946) तीसरे स्थान पर रहा। महाराष्ट्र में इस प्रकार के 2,142, छत्तीसगढ़ में 2,091, केरल में 1,945, असम में 1,648, दिल्ली में 1,215, हरियाणा में 1,296, झारखंड में 1,090 व बंगाल में 1,069 मामले दर्ज किए गए।

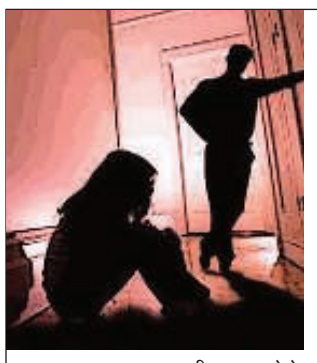

प्रतीकात्मक फोटो

31,320 मामलों में जानकारों ने ही किया विश्वासघात

दर्ज दुष्कर्म के 33,356 मामलों में से 31,320 में जानकारों ने ही विश्वासघात किया। 15,972 मामलों में अपराधी पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी, नियोक्ता या अन्य जानकार पाए गए, जबकि 12,568 मामलों में दोस्त, ऑनलाइन फ्रेंड या लिव-इन पार्टनर ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। 2,870 मामले ऐसे भी थे, जिनमें आरोपित परिवार का ही सदस्य रहा। सिर्फ 2,036 मामलों में ही अपराधी अज्ञात रहा।

बंद पड़े हैं महिलाओं की मदद के लिए खोले गए 133 वन स्टॉप सेंटर्स

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश भर में स्थापित 728 वन स्टॉप सेंटर्स (ओएससी) में से सिर्फ 595 ही काम कर रहे हैं। यानी, 133 केंद्र बंद पड़े हैं। इन केंद्रों को हिंसा प्रभावित महिलाओं की मदद के लिए स्थापित गया था। हालांकि, वर्ष 2018 के दौरान इन केंद्रों ने 2.27 लाख महिलाओं की मदद भी की है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंसा प्रभावित 1.10 लाख महिलाओं ने ओएससी की मदद ली। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 16 हजार, जबकि मध्य प्रदेश में 13 हजार महिलाओं को ओएससी की मदद हासिल हुई। इनमें ज्यादातर महिलाएं दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की पीड़ित थीं। इन्हें ओएससी के जरिये कानूनी और मनोवैज्ञानिक मदद दी गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, ओएससी दुष्कर्म, घरेलू हिंसा और अन्य अपराधों की पीड़िताओं को कानूनी, मेडिकल, काउंसलिंग और आश्रय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी